सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 266 राँची ,मंगलवार 8 वैशाख, 1937 (श०)
28 अप्रैल, 2015 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

24 अप्रैल, 2015

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा RIDF-XX के तहत् 181-ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 25027.00 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या अर्थोपाय (30)-06/2015./378/बजट -- राज्य में RIDF-XX के तहत् कुल 181-ग्रामीण पथ परियोजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र संख्या- NB.JH.SPD/4528/RIDF-XX-181 RR/148th PSC/2014-15 दिनांक **17** मार्च, **2015** द्वारा रुपये 25027.00 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है। अतः मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया जाता है:-

2. परियोजना की कुल लागत 31283.75 लाख रुपये है, जिसमें नाबार्ड से 25027.00 लाख रुपये एवं राज्य संसाधन का हिस्सा 6256.75 लाख रुपये शामिल है ।

3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-**I,** वित्तीय वर्ष **2015-16** एवं **2016-17** में किये जायेंगे ।

4. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्तें नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है (प्रतिलिपि संलग्न)। इसका अनुपालन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जायगा।

5. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा।

6. ग्रामीण कार्य विभाग Nabard RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा ।

7. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति ग्रामीण कार्य विभाग, विभागीय website पर update करेगा ।

8. ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा ।

9. इन पथों की रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मति हेतु Toll लगाकर राशि उगाही की सार्थक पहल ग्रामीण कार्य विभाग करेगा ।

10. संबंधित पथ अगर ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect-Liability period के बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय ।

11. यह संकल्प विभागीय संलेख **302/**बजट दिनांक 31 मार्च, 2015 पर मंत्रिपरिषद की बैठक 07 अप्रैल, 2015 के मद सं॰-**03** के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 266—50+200 ।